

24-11-17

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
क्रमण...V-C...से...होने से
पत्रावली दिनांक 10-1-18 को पेश होवे।

10-1-18

पत्रावली पेश हुई। वाद खेती के क्षेत्र का
चुनाव होने से वकील पेशी पर उपस्थित
होने में असमर्थ है। पत्रावली दिनांक
14-2-18 को पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

14-2-18

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
क्रमण...V-C...से...होने से
पत्रावली दिनांक 14-3-18 को पेश होवे।

14-3-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं
वादी अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली
में वादी एवं वादी अधिवक्ता का तीन बार
आवाज लगाई गई। फिर भी उपस्थित नहीं
हुए। पत्रावली में वादी लम्बे समय से
अनुपस्थित है। पत्रावली में आदेश 9
निष्पत्ति के तहत अदम हजारी अदम
पैरनी में वाद खारिज किया जाता है। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर
से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)